न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010061952024

Misc. Civil Appeal/65/2024
Rajendra Vs. Siddhapeeth Dakshinmukhi Sankat Mochan Hanuman Mandir

24.08.2026

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को संशोधन प्रार्थनापत्र 17ग व देरी माफ करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19ग पर सुना । पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थीगण सं० 1, 2, 4 व 6 की तरफ से प्रार्थनापत्र 17ग वास्ते संशोधन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील से संबंधित मूलवाद आम जनता की ओर से आदेश 1 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत स्वयं व आम जनता के लाभ के लिए योजित किया गया था। दौरान अपील अपीलार्थी स03 अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा का देहान्त दि0 19–1–2025 एवं अपीलार्थी सं० 5 अजय नारंग पुत्र श्री शेर चन्द का देहान्त दि0 25–2–2025 को हो चुका है जिस संबंध मे अपीलार्थीगण द्वारा अपील से संबंधित मूलवाद में दिनांक 6–5–2025 को संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि अपील से संबंधित मूलवाद आम जनता के हित के लिए प्रतिवादीगण क विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक डिकी हेतु योजित किया गया था, जिसमें मृतक अपीलार्थी सं० 3 व 5 का कोई निजी हित शामिल नहीं है जिस कारण अपीलार्थी सं० 3 व 5 के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है परन्तु उक्त मृतक व्यक्तियों के विषय में अपील हाजा में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसकी बावत अपीलार्थीगण को अनुमति मिलना आवश्यक है। अतः वांछित संशोधन करने की अनुमति चाही गयी है । समर्थन में शपथपत्र 18ग प्रस्तुत किया गया है । व देरी माफ करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19ग मय शपथपत्र 20ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि भूलवश मृतक उपरोक्त की मृत्यु के संबंध में अपील हाजा में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता इसी भ्रम में रहे कि चूंकि मूलवाद में उपरोक्त मृतक के संबंध में संशोधन कराने हेतु प्रार्थनापत्र दे दिया गया है जिस कारण विविध अपील में मृतक उपरोक्त के संबंध में संशोधन प्रार्थनापत्र दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को भूल का अहसास होने पर दिनांक 20–8–2026 को उपरोक्त मृतकगण की मृत्यु के संबंध में संशोधन कराये जाने हेतु विविध अपील में भी संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर रेस्पोंडेंटस के अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की गई कि संशोधन का समय निकल चुका है, कोई धारा 5 का प्रार्थनापत्र अपीलार्थी द्वारा नहीं दिया गया है । उक्त आपत्ति का निराकरण करते हुए देरी माफ किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र 19ग मय शपथपत्र 20ग प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी की तरफ से कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी है तथा मौखिक रूप से औपचारिक आपत्ति की गयी है तथा इसी आशय का पृष्ठांकन प्रार्थनापत्र के हाशिये पर किया गया है ।

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.08.25 16:37:18 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण सं० 1, 2, 4 व 6 की तरफ से प्रार्थनापत्र 17ग वास्ते संशोधन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील से संबंधित मूलवाद आम जनता की ओर से आदेश 1 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत स्वयं व आम जनता के लाभ के लिए योजित किया गया था। दौरान अपील अपीलार्थी स03 अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा का देहान्त दि0 19–1–2025 एवं अपीलार्थी सं० 5 अजय नारंग पुत्र श्री शेर चन्द का देहान्त दि0 25–2–2025 को हो चुका है जिस संबंध मे अपीलार्थीगण द्वारा अपील से संबंधित मूलवाद में दिनांक 6–5–2025 को संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि अपील से संबंधित मूलवाद आम जनता के हित के लिए प्रतिवादीगण क विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक डिकी हेतु योजित किया गया था, जिसमें मृतक अपीलार्थी सं० 3 व 5 का कोई निजी हित शामिल नहीं है जिस कारण अपीलार्थी सं० 3 व 5 के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है परन्तु उक्त मृतक व्यक्तियों के विषय में अपील हाजा में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसकी बावत अपीलार्थीगण को अनुमति मिलना आवश्यक है। अतः वांछित संशोधन करने की अनुमति चाही गयी है । समर्थन में शपथपत्र 18ग प्रस्तुत किया गया है । व देरी माफ करने हेतु प्रार्थनापत्र 19ग मय शपथपत्र 20ग प्रस्तुत किया गया है ।

वाद के गुणदोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु उक्त प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार होने योग्य हैं ।

आदेश

प्रार्थनापत्र 19ग स्वीकार किया जाता है तथा संशोधन प्रार्थनापत्र 17ग प्रस्तुत करने में हुई देरी न्यायहित में माफ की जाती है । प्रार्थनापत्र 17ग वास्ते संशोधन स्वीकार किया जाता है । संशोधन अन्दर 3 दिन किया जाये । पत्रावली वास्ते सुनवाई दि0 02.09.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।